कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/रा.वि./एपीओ पदस्थापन/2017 दिनांक 05.09.2017 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार सैनी, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) एपीओ कार्यालय हाजा का पदस्थापन राबाउमावि गंगापुर सहाड़ा जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री महेन्द्र कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16757/2017 महेन्द्र कुमार सैनी बनाम नरेशपाल गंगवार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2017 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन सीकर जिले में राउमावि गणेश्वर, राउमावि गुवार–आगरी, राउमावि दीपावास, राउमावि टोडा–पाटन अथवा राउमावि महावा, नीम का थाना जिला सीकर में व्याख्याता, राजनीति विज्ञान के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमो/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थी श्री महेन्द्र कुमार सैनी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनोपरांत जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि मांड़लगढ़ जिला भीलवाडा पदस्थापित किया गया था किन्तु राउमावि मांड़लगढ जिला भीलवाड़ा में व्याख्याता, राजनीति विज्ञान का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर किया गया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार सैनी को उसकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर राबाउमावि गंगापुर सहाडा जिला भीलवाड़ा पदस्थापित किया गया। याचिकार्थी द्वारा उक्त स्थान पर दिनांक 14.09.2017 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। साथ ही याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता स्तर का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाएं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्री महेन्द्र कुमार सैनी का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/सी–6/याचिका/16757/महेन्द्र/2017 **दिनांक** 19/11/2018

प्रतिलिपिः अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय–माध्यमिक) भीलवाड़ा
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित संस्थाप्रधान।
9. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)